

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-24/2015 परि०...../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/s-Eicher Polaris Pvt. Ltd.** के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक **M/s-Eicher Polaris Pvt. Ltd.** के द्वारा उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी **ARAI, Pune** द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अनिप्रमाणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model ARAI Certificate No/Date	Variants	Types of Vehicle	Ex-showroom Price
1	MULTiX MXL (With Roof and With Doors) BSIV AALN 0250/02.08.2016	1. MULTiX DXL (With Roof and Without Rear Doors) BSIV 2. MULTiX AXL+ (With Roof and Without Doors) BSIV	Goods Carrier-M1	Rs. 3,11,850/- से 3,40,200/- के बीच
2	MULTiX MX (With Roof and With Doors)BSIV AALN 0229/13.07.2016	1. MULTiX AX (Without Roof and Without Doors) 2. MULTiX DX (With Roof and Without Rear Doors) 3. MULTiX AX+ (With Roof and Without Doors) 4. MULTiX MX TAXI (With Roof and With Doors) 5. MULTiX AX TAXI (Without Roof and Without Doors) 6. MULTiX DX TAXI (With Roof and Without Doors) 7. MULTiX AX+ TAXI (With Roof and Without Doors)	Passanger Vehicle-M1	Rs. 3,10,940/- से 3,43,001/- के बीच

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/ मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-II के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का विक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- Authorised Signatory: For M/s- Eicher Polaris Pvt. Ltd. 3rd Floor-Select City Walk A-3, District Centre, Saket, New Delhi-110017 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव,


परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :

6850

पटना, दिनांक : 11/11/16

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan Software के Master Box में इस मॉडल की प्रविष्टि कर दिया जाय / I.T. Manager, परिवहन विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय Website पर Type Approval का एक फोल्डर बनाकर इसमें इसकी Entry कर दी जाय।


उप सचिव, 18/11/16

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।